(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान झींगा मछली के निर्यात के माध्यम से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या सरकार झींगा प्रसंस्करण क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने तथा इसमें नये एककों की स्थापना को सरल बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) तथा (ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या 4 और 366 है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार पशीतित झींगा मछली के निर्यात से हुई विदेशी मुद्रा आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु० में
1992-93	1176.83
1993-94	1770.73
1994-95	2516.60
	(स्रोतः एम्पीडा)

(ग) तथा (घ) एम्पीडा पहले से ही अनेक इमेदादी योजनाएं चला रहा है जिनका उद्देश्य मत्स्य संसाधन क्षेत्र का संवर्धन करना है। इसमें अन्य योजनाओं के साथ-साथ ये भी शामिल हैं—उन्नत प्लेट फ्रीजरों, प्रशीतित ट्रकों/कन्टेनरों को लगाने के लिए तकनीकी परामर्श और आर्थिक सहायता देना, झीतगारों का उन्नयन करना, उष्मारोधी मत्स्य संदूक वितरित करना, आई क्यू एफ झींगा के उत्पादन के लिए मशीन और उपकरण खरीदना और जनरेटर सैटों, आदि के लिए इमदाद देना।

चीनी का उत्पादन

1430. **श्री रामजीलालः** क्या **खाद्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस वर्ष चीनी का कितना उत्पादन हुआ और क्या बढ़ती हुई जनसंख्या और इस वर्ष केवल 145 लाख टन चीनी के स्वेदशी उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक चीनी का आयात किए जाने की आवश्यकता होगी;

(ख) सि समय देश में कितनी चीनी मिलें हैं और उनमें से कितनी मिलें रुग्ण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा उनके पुरुद्धार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) चालू चीनी मौसम 1994-95 के दौरान चीनी उत्पादन 15.7.1995 तक 142.27 लाख टन है (अंनितिम)। 1994-95 मौसम के शुरू में देशी चीनी के अनुमानित पूर्वशिष्ट स्टॉक तथा पूर्व आयातित चीनी के अधिशेष स्टॉक के साथ, मौसम के दौरान 143.00 लाख टन के अनुमानित उत्पादन सहित, ऐसा अनुमान है कि चालू मौसम 1994-95 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए घरेलू खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता होगी।

(ख) 30.6.1995 तक देश में 437 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थीं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनीज़ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों में अन्तर्गत जो कम्पनी रुग्ण हो जाती है उसे विचारार्थ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) के सुपुर्द कर दिया जाता है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत अब सरकारी कम्पनियां भी आ गई हैं। बी०आई०एफ०आर० ने सूचित किया है कि 1.8.1995 तक उसके पास रुग्ण चीनी कम्पनियों के 16 दर्ज़ थे।

(ग) चीनी मिलों के स्वयं ही पुनर्उद्धार/आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करके उन्हें वित्तीय सनस्थानों में मंजूर कराना होता है। चीनी विकास निधि (एस०डी०एफ०) से भी वित्तीय सहायता उप लब्ध कराई जाती है।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

1431. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पिछड़े ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र के विकास के लिए जिला-वार कितने-कितने धन का आवंटन किया गया है; और